

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/4131 /
दो-15-30/82 भाग-दो

जबलपुर, दिनांक 06/09/2019

श्री देवेश कुमार श्रीवास्तव, जूनियर ज्यूडीशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर (निःशक्त कर्मचारी) को मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक सी 2-1/1/3/2012 भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2012 एवं आदेश क्रमांक 599/443-3-1-2013 भोपाल, दिनांक 18 अप्रैल 2013 के अंतर्गत वाहन/परिवहन भत्ता रुपये 350/- (रुपये तीन सौ पचास मात्र) प्रतिमाह की दर से दिनांक 01.06.2019 से स्वीकृत किया जाता है।

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार,


(राजेन्द्र कुमार वाणी)
रजिस्ट्रार जनरल
फिर

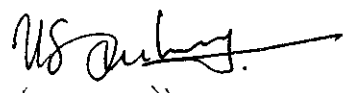
पृष्ठांकन क्रमांक C/4132 /
दो-15-30/82 भाग-दो

जबलपुर, दिनांक 06/09/2019

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार, प्रशासन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
2. रजिस्ट्रार, आई.टी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर इस अनुरोध के साथ कि आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाईड पर अपलोड कराने हेतु,
3. लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. जिला कोषालय अधिकारी, जबलपुर
5. ज्वाइंट रजिस्ट्रार (एम) (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. अनुभाग अधिकारी, स्थापना/लेखा/बजट/पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
6. सहायक स्थापना/लेखा/अवकाश/सेवा पुस्तिका/वेतन पत्रक/डी.पी.एफ, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. दो अतिरिक्त प्रति सहित ऑफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. श्री देवेश कुमार श्रीवास्तव, जूनियर ज्यूडीशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(यू.एस. दुबे)
रजिस्ट्रार-कम-पी.पी.एस.
फिर